न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

सुभाष [illegible] बनाम [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व [illegible]
	प्रा.पत्र अस्थाई [illegible] [illegible] 13/2023	

27.07.2023

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी के निर्वाचन प्रशिक्षण मे जयपुर व्यस्त होने के कारण प्रकरण मे समय अभाव के कारण निर्णय नही लिखाया जा सका। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 17.08.2023 को पेश हो।

(रीडर)
उपखण्ड अधिकारी,श्रीमाधोपुर

17.08.2023

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में समय अभाव के कारण निर्णय नहीं लिखाया जा सका। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 21.08.2023 को पेश हो।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,श्रीमाधोपुर

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

21.08.2023

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। प्रकरण में विस्तृत निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा– 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 स्वीकार किये [illegible] जाने पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार [illegible] दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में [illegible] गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.23 10:05:01 IST
Reason: SelfAttested

21/08/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
17 / 2023	2023 / 063	08.03.2023	21.08.2023

उनवान प्रकरण

1. झूमा देवी पुत्री मंगलाराम आयु 45 साल जाति अहीर ग्राम अरनियां तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

---प्रार्थी

बनाम्

1. हणमान दत्तक पुत्र मंगला आयु 60 साल
2. सुण्डी देवी पत्नी मंगला आयु 70 साल
   जाति अहीर ग्राम अरनियां तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
3. उप पंजियक तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
4. पटवार हल्का अरनियां तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
5. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

--अप्रार्थीगण

उपस्थित:–

श्री सुरेश कुमार लाम्बा, एड0 प्रार्थी की ओर से अभिभाषक।

श्री अनिल यादव, एड0 अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अभिभाषक।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212

राजस्थान काश्तकारी अधिनि[illegible] 19[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.23 10:05:01 IST
Reason: SelfAttested

21/08/[illegible]

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ अप्रार्थीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि ग्राम अनरिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1372 रकबा 0.86 हैक्टर व खसरा नम्बर 647, 650 कुल किता 2 कुल रकबा 1.5500 हैक्टर व खसरा नम्बर 779 से 782 कुल किता–4 कुल रकबा 1.8900 हैक्टर में 1/2 हिस्सा एवं खसरा नम्बर 1356 रकबा 0.6100 हैक्टर सम्पूर्ण की खातेदारी अप्रार्थी संख्या–1 व 2 के नाम दर्ज है जो पैत्रिक कृषि भूमिया है। प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 आपस में एक ही परिवार खानदान से है। उक्त वर्णित भूमिया पक्षकारान की पैत्रिक कृषि भूमिया है। जिसकी खातेदारी पूर्व में प्रार्थीया के पिता स्वर्गीय मगला पुत्र दुलाराम के नाम दर्ज चली आ रही थी। जिसकी मृत्यु उपरान्त विरासत के आधार पर अप्रार्थी संख्या–1 ने उक्त भूमि की खातेदारी अप्रार्थी संख्या –1 व 2 के नाम दर्ज करवायी है जो मनमर्जी के दस्तावेजात तैयार करवाकर करवाली गयी हैं एवं प्रार्थीया के नाम उसके पैत्रिक हिस्सा की खातेदारी दर्ज नही करवायी है। जबकि प्रार्थीया का उक्त पैत्रिक कृषि भूमिया में 1/3 हिस्सा पैत्रिक हिस्सा है। जिसकी खातेदारी प्रार्थीया अपने नाम दर्ज करवाने की अधिकारी हैं। अप्रार्थी संख्या 1 आवारा किस्म का व्यक्ति है एवं प्रार्थीया की माता अप्रार्थीया संख्या 2 काफी वृद्ध हो चुकी है। जिसका नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थी संख्या 1 दीगर को विक्रय, रहन, अन्तरण करवाकर दीगर का बलात् कब्जा करवाने पर उतारू है। अप्रार्थी संख्या – 1 ने प्रार्थीया को दिनाक 25.02.2023 को धमकी दी है कि पैत्रिक कृषि भूमियो को दिगर भू–माफिया गिराह के लोगो को [illegible] रहन अन्तरण कर दिगर का बलात/कब्जा करवाकर रहूंगा तथा प्रार्थीया को उसका [illegible] हक हिस्सा व कब्जा काश्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.23 10:05:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

21/08/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

की भूमि से बेदखल करवाकर रहूंगा तथा कृषि भूमि को बिना भू-रूपान्तरण करवाये कृषि से अकृषि मे परिवर्तन करवाकर रहूंगा। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को तादौराने सुनवाई दावा तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि तन ग्राम अरनिया पटवार हल्का अरनिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज० मे अवस्थित वादग्रस्त पैत्रिक कृषि भूमि खसरा नम्बर 1372 रकबा 0.86 हैक्टर व खसरा नम्बर 647, 650 कुल किता-2 कुल रकबा 1.5500 हैक्टर व खसरा नम्बर 779 से 782 कुल किता 4 कुल रकबा 1.8900 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 1356 रकबा 0.6100 हैक्टर को दिगर को विक्रय रहन अन्तरण नही करे, ना ही दिगर का बलात कब्जा नही करवाये, ना ही कृषि भूमि को बिना भू रूपान्तकरण करवाये कृषि से अकृषि मे परिवर्तन करने ना ही अवैध निर्माण करे, ना ही प्रार्थीया को उसकी हक हिस्सा एवं कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल करे तथा अप्रार्थी संख्या-3 ता 5 को भी पाबंद फरमाया जावे कि वादग्रस्त भूमि का विक्रय, रहन, अन्तरण लेख तस्दीक नही करे ना ही राजस्व रिकार्ड परिवर्तन करे बल्कि मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु प्रतिबंधित फरमाये जाने का निवेदन अपने द्वारा परस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे किया है।

इस पर प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी न. 1 की ओर से श्री अनिल यादव एड0 ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश की। अप्रार्थीगण संख्या 2 व 4 की नोटिस तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से व अप्रार्थीगण संख्या 3 व 5 की तामील साधारण तरीके से [illegible] जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थीगण [illegible] एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा [illegible] प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.23 10:05:01 IST
Reason: SelfAttested

21/08/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

कर दिये जाने तथा अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 5 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाने से वकील प्रार्थीया ने आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील अप्रार्थीगण ने बहस सुनी जाने हेतु सहमति व्यक्त की।

प्रकरण मे बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीया ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उभय पक्षकारान एक ही खानदान से होकर सजरा खानदान अनुसार एक ही परिवार से है। जादग्रस्त आराजी भूमियॉ पैत्रिक है। जिसकी वर्तमान में खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज रिकार्ड है। इससे पूर्व इसकी खातेदारी प्रार्थीया के पिता स्व0 मंगला पुत्र दूलाराम के नाम दर्ज चली आ रही है। जिसकी मृत्यु उपरांत विरासत के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त भूमियों की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज करवा ली गई जबकि इस भूमि मे प्रार्थीया का 1/3 हिस्सा पैत्रक हिस्सा है। मंगला हणमान का दत्तक पुत्र है तथा प्रार्थीया झूमा देवी मंगला की पुत्री संतान ही है। लेकिन विरासत का खाता खोलते समय प्रार्थीया झूमा के नाम खातेदारी दर्ज नहीं करवाई गई। प्रार्थीया के द्वारा अपने पिता के नाम दर्ज भूमियों के हिस्से में से अपने हिस्से की भूमि का हकत्याग दिनांक 17.05.2008 को अपनी माता सुण्डी देवी व भाई हणमान दत्तक पुत्र मंगलाराम के पक्ष में फर्जीवाडा करते हुए हकत्याग तस्दीक कराया गया है। जिसे निरस्त कराने हेतु प्रार्थीया के द्वारा सिविल न्यायालय में दावा पेश किया गया था। प्रार्थीया वकील ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 08.03.2023 को मूल वाद के अंतिम निर्णय तक कंफर्म किए जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.23 10:05:01 IST
Reason: SelfAttested

21/08/23

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

वहीं दौराने बहस वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित तथ्यों को बार-बार दोहराते हुए कथन किया कि तन ग्राम अरनियां पटवार हल्का अरनियां तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1372 रकबा 0.86 हैक्टर व खसरा नम्बर 647, 650 कुल किता 2 कुल रकबा 1.5500 हैक्टर व खसरा नम्बर 779 से 782 कुल किता 4 कुल रकबा 1.8900 हैक्टर में 1/2 हिस्सा एवं खसरा नम्बर 1356 रकबा 0.6100 हैक्टर सम्पूर्ण के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार अप्रार्थी संख्या-1 व 2 एवं भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 मौके पर पूर्णत काबिज काश्त चला आ रहा है। वास्तविकता यह है कि प्रार्थीया स्वयं झुमा देवी पुत्री मंगलाराम ने शपथ पत्र स्वर्गीय मंगलाराम पुत्र लादू के कब्जे काश्त की भूमि की खातेदारी दर्ज करवाने हेतु निष्पादित करवाया था एवं प्रार्थीया स्वयं द्वारा अपने पैत्रिक हक हिस्सा की भूमि का हक त्याग लेख दिनांक 17.05.2008 को अपनी माताजी सुण्डी देवी बेवा मंगलाराम व दत्तक भाई हणमान दत्तक पुत्र स्व0 मंगलाराम के हक में उप पंजियक कार्यालय श्रीमाधोपुर में गवाह गोपालराम यादव व झूंथाराम यादव निवासी अरनियां के समक्ष तस्दीक व पंजीबद्ध करवाया गया था एवं उसके आधार पर खातेदारी विधि सम्मत तरीके से दर्ज हुयी हैं एवं अप्रार्थी संख्या-1 भूमियों पर मौके पर पूर्णत काबिज काश्त चला आ रहा है एवं अपनी दत्तक माता सुण्डी देवी की सेवासुश्रुषा करता चला आ रहा है। प्रार्थीया शादी शुदा होकर स्थायी रूप से ससुराल रह रही हैं। जिसके अप्रार्थी संख्या-1 भात पेज आदि भरता आ रहा है एवं उसके सामाजिक जिम्मेदारियां निभाता आ रहा हैं। प्रार्थीया ने दिगर लोगो के बहकावे में आकर अप्रार्थी संख्या-1 को नाजायज हैरान परेशान करने की बदनियति से झूठा दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया है एवं अप्रार्थी संख्या-1 की दत्तक माता सुण्डी देवी को भी बहका दिया है। प्रार्थीया ने अपने पैत्रिक हक हिस्सा की भूमि का हकत्याग लेख दिनांक 17.05.2008 को अपनी माताजी सुण्डी देवी बेवा मंगलाराम व दत्तक भाई हणमान दत्तक पुत्र स्व0 मंगलाराम के हक में उप पंजियक कार्यालय श्रीमाधोपुर में गवाह गोपालराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.23 10:05:01 IST
Reason: SelfAttested

21/08/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

यादव व झूथाराम यादव निवासी अर्जनिया के समक्ष तस्दीक व पंजीबद्ध करवा दिया था।
सजरा खानदान के अनुसार हणमान को रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 05.03.2008 के अनुसार
दत्तक पुत्र माना गया है। माता सुण्डी देवी अपने दत्तक पुत्र के साथ ही वर्तमान में
निवासरत है। इसलिए प्रार्थीया किसी प्रकार की खातेदारी दर्ज करवाने की अधिकारी नहीं
है एव ना ही प्रार्थीया अप्रार्थीगण को किसी प्रकार से पाबंद करवाने की अधिकारी है। प्रार्थना
पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा किसी भी प्रकार से पोषणीय नहीं होने के कारण सव्यय खारिज
फरमाये जाने का निवेदन वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में किया है।

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन
किया। वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस पर समीर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध
राजस्व रिकॉर्ड व दस्तावेजात् का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि प्रार्थना पत्र में
दर्ज वादग्रस्त भूमियों की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज हिस्सेनुसार राजस्व
रिकार्ड में अंकित होना प्रकट होता है। अप्रार्थी संख्या 2 के केवल मात्र एक पुत्री संतान
झूमा देवी होना तथा पुत्र संतान नहीं होने से अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1
हणमान पुत्र रूड़ाराम जो उसके जेठ का पुत्र है को जरिये रजिस्टर्ड गोदलेख दिनांक
05.03.2008 के द्वारा दत्तक पुत्र लिया जाना प्रकट होता है। अप्रार्थी संख्या 1 के दत्तक
पिता व अप्रार्थी संख्या 2 के पति मंगलाराम का देहान्त हो जाने पर जरिये विरासतन
उक्त वादग्रस्त भूमियों की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज रिकार्ड होना
प्रकट होता है। उक्त विरासत का नामान्तकरण खोले जाने से पूर्व ही प्रार्थीया झूमादेवी
के द्वारा अपने पैत्रक हिस्से में प्राप्त होने वाले हिस्से का हकत्याग जरिये रजिस्टर्ड
हकत्याग लेख दिनांक 17.05.2008 के द्वारा अपनी माता सुण्डी देवी व दत्तक भाई हणमान
के पक्ष में रजिस्टर्ड दस्तावेजात् के द्वारा किया जाना रिकार्ड से स्पष्टतः प्रकट होता है।
प्रार्थीया यदि उक्त तस्दीक करवाये गये रजिस्टर्ड हकत्याग से असंतुष्ट होती है तो वो
उस हकत्याग को निरस्त करवाने हेतु सक्षम सिवि[illegible]य में अपील दायर कर अनुतोष
प्राप्त करने की अधिकारीणी हो सकती [illegible] न्यायालय का प्रश्न है वहां
प्रार्थीया ने अपने पिता से अपनी माता व भाई के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड में अंकित

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.23 10:05:01 IST
Reason: SelfAttested

21/08/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

भूमियो मे अपने पैतृक हिस्से मे आने वाली भूमियो की घोषणा करवाय जाने हेतु उक्त वादपत्र को प्रस्तुत किया जाना प्रकट होता है परन्तु प्रस्तुत प्रकरण मे प्रार्थीया के द्वारा अपने हक हिस्से का हकत्याग अपने भाई व माता के पक्ष मे जरिये रजिस्टर्ड हकत्याग के माध्यम से विधिक हक हिस्से का परित्याग किया जाना स्पष्टत प्रकट होता है। जिस निरस्त किये जाने का वैधानिक अधिकार इस राजस्व न्यायालय को नही होकर सक्षम सिविल न्यायालय को ही अधिकारिता प्राप्त है। जबकि प्रार्थीया द्वारा अपने पिता से पैतृक सम्पति मे अपने नोशनल शेयर से प्राप्त होने वाले विधिक हिस्से के खातेदारी अधिकारो की उदघोषणा करवाने हेतु यह वादपत्र प्रस्तुत किया जाना प्रतित होता है। उक्त भूमियो के पैतृक भूमि होने से मृत्तक खातेदार के समस्त वारिसान को जरिये विरासतन प्राप्त होने वाले अपने विधिक हिस्से तक के खातेदारी अधिकारो की उदघोषणा करवाय जाने का कानूनन हक अधिकार होने से उक्त वादपत्र को प्रस्तुत किया जाना प्रकट होता है। पक्षकारान् प्रार्थीया व अप्रार्थीगण के हक हकूक न्यायालय में विचाराधीन वादपत्र मे चाही गई उदघोषणा के माध्यम से ही निश्चित होगे। जिसमें वाद उभय पक्षकारान् की गुणावगुण उपरान्त गुणावगुण के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा मूल वादपत्र मे ही की जा सकती है। जिसके लिए मूल वादपत्र के साथ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किये जाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र का पेश किया जाना प्रकट होता है।

प्रार्थना पत्र अस्थाई जारी करने के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा प्रमुख रूप से तीन बिन्दु क्रमश :–

1. प्रथम दृष्टवा मामला
2. सुविधा का सन्तुलन
3. अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.23 10:05:01 IST
Reason: SelfAttested

1. **प्रथम दृष्टवा मामला :–** चूकि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे वर्णित वादग्रस्त आराजी भूमियो की खातेदारी अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। जो

21/08/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा

उनके मृतक पिता ममता पुत्र दुलाराम से आना प्रकट होता है। जिससे उक्त वादग्रस्त आराजी भूमियां पक्षकारान की पैतृक भूमियां होना पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड से स्पष्टत प्रमाणित होती है। जिसमे प्रार्थीया द्वारा अपने पिता से पैतृक सम्पति मे अपने नोशनल शेयर से प्राप्त होने वाले विधिक हिस्से के सम्पूर्ण खातेदारी अधिकारो का हकत्याग जरिये रजिस्टर्ड हकत्याग के माध्यम से उप पजीयक श्रीमाधोपुर के यहाँ हकत्याग लेख पजीबद्ध करवाये जाने से प्रथम दृष्टवा मामला प्रार्थीया के पनक्ष में नही होकर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के पक्ष में प्रथम दृष्टवा मामला बनना प्रकट होता है। उक्तानुसार उक्त बिन्दु अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के पक्ष में तय किया जाता है।

2. **सुविधा का सन्तुलन** :– चूकि प्रथम दृष्टवा मामला प्रार्थीया के पक्ष मे नही होकर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के पक्ष मे तय हो चुका है तो ऐसी स्थिति मे सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के पक्ष में होना प्रकट होता है। जिससे प्रार्थीया के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे चलाये जाने या तादौराने वाद अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म कर दिये जाने से अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को ही भारी असुविधा होना प्रकट होता है। जिसकी पूर्ति किया जाना किसी कदर सम्भव नहीं होगा।

3. **अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त** :– प्रकरण में बिन्दू संख्या 1 व 2 प्रार्थीया के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के पक्ष में होना प्रकट होना है तो ऐसी स्थिति मे अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थीया के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के पक्ष में ही बखूबी साबित होता है।

जिसके अनुसार प्रथम दृष्टवा मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त उक्त तीनों बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष मे नही होकर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के पक्ष में बखूबी साबित होना पाया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.23 10:05:01 IST
Reason: SelfAttested

21/08/23

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

आदेश

अतः ऐसी स्थिति मे वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा न्यायहित में स्वीकार किए जाने योग्य नही पाए जाने पर प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को स्वीकार नहीं की जाकर खारिज की जाती है तथा इस न्यायालय द्वारा पारित अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 08.03.2023 को अपास्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

21/08/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 21.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/08/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.23 10:05:01 IST
Reason: SelfAttested